राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 94 / 2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि. (पूर्व में मेनटर इण्डिया लि0) प्रधान कार्यालय– मेन्टर हाऊस, गोविन्द मार्ग सेठी कॉलोनी, जयपुर

–– प्रार्थी

बनाम

1. श्री रोशन लाल जाट पुत्र देवी लाल जाट निवासी प्लाट नंबर 49, ग्राम नया खेडा, ग्राम पंचायत झडोल, पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. श्री देवी लाल जाट पुत्र धन्ना लाल जाट निवासी प्लाट नंबर 49, ग्राम नया खेडा, ग्राम पंचायत झडोल, पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती बादाम देवी पत्नि देवी लाल जाट निवासी प्लाट नंबर 49, ग्राम नया खेडा, ग्राम पंचायत झडोल, पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. श्री जगदीश जाट पुत्र जवार मल जाट निवासी ग्राम नया खेडा, ग्राम पंचायत झडोल, पंचायत समिति रायपुर, जिला भीलवाड़ा

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी – श्री सतीश गौतम।

निर्णय

दिनांक : 17.10.2022

प्राधिकृत अधिकारी, मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि0 प्रधान कार्यालय– मेन्टर हाऊस, गोविन्द मार्ग सेठी कॉलोनी, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को कुल 3,00,000/– रूपये का ऋण दिनांक 30.06.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति रहन रखी गयी – अचल सम्पत्ति पट्टा नंबर 49, ग्राम नया खेडा, ग्राम पंचायत झडोल, पं0स0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा क्षेत्रफल 1722.50 वर्गफीट में स्थित है जो श्री देवा पुत्र धन्ना जाट के नाम पर है (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार)। दिनांक 28.09.2019 तक कुल बकाया ऋण की राशि 4,54,618/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।